


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

| क्र०सं० | कार्मिका का नाम व पदनाम | वर्तमान तैनाती | नवीन तैनाती | अभ्युक्ति |
|---------|---|---------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री हरेन्द्र सिंह गुसाई, चतुर्थ श्रेणी | मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी | मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून | अनुरोध पर |

श्री हरेन्द्र सिंह गुसाई, चतुर्थ श्रेणी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गुसाई का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सकसेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक-कृ०नि०/ 1656 /स्था०अनु०-1/च०श्रे०/वार्षिक स्थाना०/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री हरेन्द्र सिंह गुसाई, चतुर्थ श्रेणी द्वारा-मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी को इस आशय के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री हरेन्द्र सिंह गुसाई को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून को इस आशय के साथ कि श्री हरेन्द्र सिंह गुसाई की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून